कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उतराखण्ड वन विकास निगम चकराता।
yannigamchakrata1010@gmail.com

****

"कटान, चिरान, आफरोड़ ढुलान हेतु निविदा"

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टिहरी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, चकराता के कार्यालय में पंजिकृत श्रमिक/व्यवस्थापकों/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चकराता वन प्रभाग से इस प्रभाग को आवंटित **वर्ष 2024–25 निम्नलिखित चीड़ कार्य वृत्त के लौटे निस्तारण के उद्देश्य से आवंटित की गई है। जिसमे कार्य सम्पादन हेतु लौटों में कटान, चिरान, कन्धा, खच्चर ढुलान (आफरोड) हेतु पंजीकृत निविदा पंजीकृत डाक से दिनांक–.28.01.2025 को** दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा पंजिकृत डाक से दिनांकः– 28.01.2025 को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता भी उपस्थित रह सकते है।

निविदा फार्म शर्ते एवं लौटों का विवरण दिनांक– 25.01.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। प्रस्तावित लौटों का विवरण निम्न प्रकार है–

लौट सं0	कक्ष सं0	प्रजाति/कार्यवृत्त	आवंटित आयतन (घ0मी0 में)	बन्धक धनराशि	कार्य का विवरण	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
06/24–25	खूनीगाड़–03ए	चीड़	210.908	38000.00	कटान, चिरान, कन्धा, खच्चर ढुलान, (आफरोड ढुलान)	31.03.2025
07/24–25	खूनीगाड़–03बी	चीड़	87.714	16000.00	–"–	31.03.2025
08/24–25	खूनीगाड़–04	चीड़	694.958	84000.00	–"–	31.03.2025
09/24–25	दारागाड़–07ए	चीड़	68.773	13000.00	–"–	31.03.2025
10/24–25	मझोग–01	चीड़	101.463	19000.00	–"–	31.03.2025
12/24–25	कुडोग–13	चीड़	17.804	4000.00	–"–	31.03.2025
13/24–25	कुडोग–14	चीड़	26.142	5000.00	–"–	31.03.2025

"निविदा शर्ते"

1. पंजीकृत/डाक द्वारा ही निविदाऐं मान्य होंगी।
2. निविदा पत्र मूल्य रू0 100.00+जी0एस0टी0 का भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, चकराता के कार्यालय से दिनांक–25.01.2025 तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदाऐं दिनांक–28.01.2025. को अपरान्ह 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इच्छुक/उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी।
3. निविदा/टैण्डर फार्म केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यवस्थापकों को ही निर्गत किये जायेगे। साथ ही निविदादाता को आवंटित ई0पी0एफ0 खाता संख्या, श्रमिकों की सूची तथा पूर्व में जमा ई0पी0एफ0 धनराशि का विवरण निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

कमश–2–

CamScanner

4. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में वन विदोहन कार्यो के सम्पादन हेतु केवल वही श्रमिक आपूर्ति व्यवस्थापक/ठेकेदार कटान, चिरान, कन्धा/खच्चर कार्य हेतु निविदा में भाग ले सकेगें जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम में नियमानुसार पंजीकृत होगे। **प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, चकराता कार्यालय में पंजीकृत व्यवस्थापक ही निविदा में भाग ले सकते है।**

5. प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक चकराता के कार्यालय से निर्गत निविदा प्रपत्रों पर ही दी गई निविदा स्वीकार्य होगी।

6. प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित बन्धक धनराशि की सी0डी0आर0 प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, चकराता के पदनाम बन्धक कर संलग्न करनी होगी। बन्धक धनराशि रहित निविदाए स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

7. अधोहस्ताक्षरी अथवा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है। यदि कोई निविदा स्वीकार नही की जाती है तो उस निविदा के साथ संलग्न बन्धक धनराशि आवेदन करने पर यथा समय लौटा दी जायेगी।

8. लौट के क्रम सं0 1 (निविदा पत्र) के कार्य, चिरान प्रकाष्ठ, गिरान, चिरान मोटर मार्ग तक कन्धा व खच्चर ढुलान की न्यूनतम दर को आधार मानते हुए आवंटित किया जायेगा। लौटों में वृक्षों के पातन की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/सेक्शन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गोल/लट्ठा, चिरान, डिमडिमा, हकड़ी एवं सोख्ता का उत्पादन किया जायेगा।

9. सफलतम निविदादाता को प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई कार्यकारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा। सफलतम निविदादाता को कार्य आवंटन की तिथि से 7 दिन की अवधि में निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थित करना होगा। अनुबन्ध पत्र संस्थित किए जाने के उपरान्त ही निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों की स्वीकृति पर कार्य करने से इन्कार किया जाता है, अथवा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र नही भरा जाता है तो बन्धक धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं प्रश्नगत आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा उक्त कार्य के पुनः निविदा के समय ऐसे निविदादाता को पुनः निविदा देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10. सफलतम निविदादाता को श्रमिकों का बीमा विवरण ई0पी0एफ0 अधिनियम के अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। ई0पी0एफ0 जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण प्रतिमाह 10 तारीख तक सम्बन्धित सैक्शन अधिकारी/या प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध करना होगा। ई0पी0एफ0 विभाग में पंजीकृत एवं वन विकास निगम में प्रजीकृत (नवीनीकृत) व्यवस्थापक की निविदा ही वैद्य मानी जायेगी।

11. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा प्रवर्तन दल द्वारा जॉच के दौरान श्रमिकों से सम्बन्धित ई0पी0एफ0 में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

12. सफलतम निविदादाता को यह अधिकार नही होगा कि वह अपने को आवंटित कार्य को किसी अन्य को हस्तान्तरित कर सके।

13. सफलतम निविदादाता को कार्य हेतु अपने एवं श्रमिको के आवास, पीने के पानी/गोदाम, औजारों, आने–जाने आदि की अपने व्यय पर स्वयं व्यवस्था करनी होगी तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा इन व्यवस्थाओं हेतु किसी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नही किया जायेगा।

14. श्रमिक आपूर्ति व्यवस्थापक/ठेकेदार, लौट के कार्यक्षेत्र, छपानशुदा वृक्षों की स्थिति मोटर मार्ग तक ढुलान की दूरी व स्थितियों को निविदा देने से पूर्व अवश्य ही निरीक्षण कर लें। लौट की दूरी/भौगोलिक स्थिति का भली–भॉति निरीक्षण के पश्चात् ही निविदा दी जाये। निविदा खोले जाने के उपरान्त इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत अथवा प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. श्रमिक व्यवस्थापक/ठेकेदार को लौट में कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में श्रमिक/खच्चर लगाने होगे अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा। लौट में कार्यरत श्रमिको की सूची उनके नाम पते सहित प्रभागीय कार्यालय एवं सैक्शन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी अवांछित प्रतिनिधि/श्रमिक को कार्य पर रखे जाने से कार्य प्रारम्भ से पूर्व अथवा कार्य की प्रगति के बीच कार्य पर रखने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

क्रमश–3–

16. व्यवस्थापक को अपने श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति की पंजिका अध्यावधिक स्थिति में पूर्ण रखनी होगी। तथा अधोहस्ताक्षरी/अनुभाग अधिकारी/ईकाई अधिकारी एवं वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

17. श्रमिक आपूर्ति व्यवस्थापक को स्थानीय व बाहरी श्रमिकों की सूची भी पृथक से प्रस्तुत करनी होगी।

18. यदि प्रश्नगत कार्य की प्रगति की अवधि में विभाग द्वारा उसी लौट में अतिरिक्त कार्य का आवंटन किया जाता है तो सफलतम निविदादाता को पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तो पर अतिरिक्त कार्य का सम्पादन निर्धारित अवधि के भीतर करना होगा।

19. व्यवस्थापक के श्रमिक वृक्षों का पातन इस प्रकार करेंगे कि वन क्षेत्र के अन्य वृक्षों व वनस्पति को किसी प्रकार की क्षति न होने पायें। यदि त्रुटिपूर्ण पातन के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा किसी प्रकार से अर्थदण्ड लगाया जाता है तो उसकी वसूली श्रमिक व्यवस्थापक को देय बिलों से कर दी जायेगी। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी कोई क्षति पायी जाने पर उसकी पूर्ति सम्बन्धित व्यवस्थापक से की जायेगी। वृक्षों का पातन पर्वत के शीर्ष की ओर से ऊपरी ढुलान की ओर किया जाये। अनियमितता पाये जाने पर दण्ड निर्धारित किये जाने पर उसकी वसूली बिलों से की जायेगी।

20. श्रमिक आपूर्ति व्यवस्थापक वृक्षों का पातन इस प्रकार करायेंगे कि वृक्ष के ठूठों की ऊँचाई अधिक नही होगी तथा छपान के घन के निशान को क्षति न पहुँचाई जाये। ठूठों के लिए निर्धारित ऊचॉई से अधिक ऊचॉई होने पर अतिरिक्त ऊचॉई के आयतन पर वन विभाग द्वारा लागू रायल्टी के दुगने दर से व्यवस्थापक को वन निगम को प्रकाष्ठ की कमी की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

21. जिन लौटों में श्लैष/हकड़ी का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित हो उन लौटों में सर्वप्रथम चिरान कार्य पूर्ण किया जायेगा। चिरान कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही अनुभाग अधिकारी के निरीक्षण/लिखित अनुमति के उपरान्त ही हकड़ी/श्लेष का उत्पादन आरम्भ किया जायेगा। इस नियम की अवहेलना करने पर व्यवस्थापक का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा अनुबन्ध समाप्त किए जाने के कारण वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नही होगा।

22. जलौनी प्रकाष्ठ : श्लेष एवं हकड़ी के मानक निम्न प्रकार होगें –

    अ. जलौनी – 1 मीटर लम्बाई एवं 25 सेमी0 गोलाई के कम, 25 गोलाई से अधिक के गठीलें फटे हुए टेडे मेडे लठ्ठे। जलौनी प्रकाष्ठ के आयतन की गणना चट्टा आयतन के रूप में की जायेगी।
    ब. हकड़ी – सामान्य नपत 75 सेमी0 लपेट से अधिक लम्बाई 1.25 मी0, 1.55मी0, 1.85 मी0 तक।
    स. श्लैष – एक मीटर लम्बाई के फटे हुए लठ्ठे के रूपान्तरण हेतु अनुपयोगी, 30 सेमी0 गोलाई से अधिक का प्रकाष्ठ।
    द. व्यवस्थापक/उसके श्रमिको द्वारा अन्डरसाईज हकड़ी/प्रकाष्ठ का उत्पादन करने पर भुगतान की दर स्वीकृत दर से आधी होगी।

23. व्यवस्थापक लौट में कार्य अवधि के दौरान प्रत्येक कार्य हेतु समुचित संख्या में श्रमिक लौट में उपलब्ध रखेगा। यदि किसी समय यह पाया गया कि वॉछित संख्या से कम श्रमिक कार्य पर उपलब्ध है एवं कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त होना सम्भव प्रतीत नही हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक को 15 दिन में कार्यों की प्रगति सुधार लाने हेतु नोटिस जारी करेगे। यदि व्यवस्थापक द्वारा इस अवधि में उल्लेखनीय सुधार नही किया जाता है तो कार्य पूर्ण कराने के लिये विभागीय श्रमिकों को दिये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली सम्बन्धित व्यवस्थापक से की जायेगी।

24. यदि व्यस्थापक निर्धारित कार्य अवधि में कार्यों को पूर्ण करने में असफल रहता है तो प्रभागीय प्रबन्धक, चकराता द्वारा उसकी जमानत जब्त कर ली जायेगी। इस प्रकार के कार्य को विभागीय रूप से करवाये जाने पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति श्रमिक आपूर्ति व्यवस्थापक से की जायेगी।

25. जिन वृक्षों से चिरान अथवा गोल प्रकाष्ठ की उत्पादन की सम्भावना न हो तो प्रभागीय प्रबन्धक के निर्देशानुसार उन वृक्षों को श्लेष/जलौनी प्रकाष्ठ के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है।

26. वन क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना के समय व्यवस्थापक/प्रतिनिधियों/उनके श्रमिकों का यह दायित्व होगा कि वे अग्नि नियन्त्रण के कार्यो में सहयोग करें तथा प्रकाष्ठ की अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उक्त व्यवस्था में लापरवाही पाये जाने पर अग्नि से हुई क्षति पूर्ति व्यवस्थापक से की जायेगी।

कमश–4–

CamScanner

27. व्यवस्थापक द्वारा लौट में किसी प्रकार का रूपान्तरित/अरूपान्तरित प्रकाष्ठ न छोडा जाये, यदि ऐसा पाया जाता है कि व्यवस्थापक द्वारा लौट में रूपान्तरित/अरूपान्तरित प्रकाष्ठ छोड़ा गया है तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उक्त प्रकाष्ठ की मात्रा की देय रायल्टी के बराबर मूल्य की क्षति पूर्ति करनी होगी तथा इस प्रकाष्ठ रूपान्तरण का कोई व्यय व्यवस्थापक को देय नहीं होगा व उत्तराखण्ड वन विकास निगम इस प्रकाष्ठ को अपने स्तर से निकासी करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

28. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रकाष्ठ के साथ किसी अन्य निजी व्यक्ति अथवा संस्था का प्रकाष्ठ सम्मिलित नही किया जायेगा।

29. प्रकाष्ठ का लौचिंग डिपो में पहुॅचने के बाद सैक्शन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट एवं प्रमाणक आदि प्रस्तुत करने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

30. प्रत्येक बिल से 10 प्रतिशत धनराशि की जमानत के रूप में कटौती की जायेगी जो लौट का त्याग पत्र चकराता वन प्रभाग, चकराता से स्वीकृत होने के पश्चात् वापस की जायेगी।

31. प्रत्येक भुगतान पर नियमानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0(G.S.T. T.D.S) की कटौती की जायेगी।

32. अन्तिम भुगतान डिपो प्राप्ति के आधार पर किया जायेगा।

33. कार्य पर लगाये गए श्रमिकों का बीमा वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट के अन्तर्गत करवाना होगा तथा कार्य के दौरान आकस्मिक दुर्घटना होने पर श्रमिक/उसके आश्रितों को देयकों का भुगतान व्यवस्थापक को करना होगा।

34. आफरोड़/खच्चर ढुलान हेतु बटिया/सडक का निर्माण/मरम्मत निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करना होगा। वन विकास निगम द्वारा इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

35. ढुलान शुदा प्रकाष्ठ को मोटर मार्ग पर साईजवार चट्टाबन्दी करके रखना होगा। प्रकाष्ठ के बिखरे पाये जाने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा स्वयं चट्टाबन्दी करवाई जायेगी जिसका व्यय ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।

36. लौट में लुढ़कान पूर्णतया वर्जित है ऐसा करने पर वन विभाग के द्वारा लगाये जाने वाले अर्थ दण्ड/पी0डी0 की धनराशि व्यवस्थापक से वसूल की जायेगी व भविष्य में कार्य करने हेतु निविदादाता को प्रतिबन्धित किया जायेगा।

37. निविदादाता को लौट में छपे वृक्षों का ही पातन करना होगा, बिना छपे वृक्षों का पातन अवैध माना जायेगा। ऐसे वृक्षों के पातन पर विभाग द्वारा लगाये गये अर्थ दण्ड के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति निदिादाता के बिल/जमानत से की जायेगी।

38. निविदादाता को लौट में कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त नही करता है तो वन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले अवधि विस्तार शुल्क मुंशी, अग्नि रक्षक का वेतन व अन्य शुल्क व्यवस्थापक से वसूल किया जायेगा।

39. निविदादाता को यमुना/भागीरथी वृत्त के कार्य क्षेत्र में लागू बिक्री के प्रतिबन्ध व समस्त नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। वह अपने श्रमिकों द्वारा किये गये समस्त कार्यो एवं नियम हनन/त्रुटियों एवं उससे उपजे अर्थ दण्ड की क्षति पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

40. लौट में विदोहन कार्य के समय व्यवस्थापक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यरत समस्त श्रमिकों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखें। श्रमिको के अवैध कार्य में लिप्त पाये जाने वाले पर व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

41. लौट में कार्य आरम्भ से कार्य के सम्पादन की अवधि में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। ऐसा न करने पर अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

42. व्यवस्थापक को श्रमिकों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी श्रमिको को भुगतान करना अनिवार्य होगा। अनियमितता पाये जाने पर व्यवस्थापक उत्तरदायी होगें।

क्रमश–5–

CamScanner

43. व्यवस्थापक एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, चकराता के मध्य उपरोक्त शर्तों के विवाद होने की दशा में एक पक्ष दूसरे पक्ष को 15 दिन की अवधि का समय देते हुये क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आर्बिट्रेटर हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आर्बिट्रेटर क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे0) का निर्णय अन्तिम व दो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

44. लौट में लौट व्यवस्थापक की प्राथमिक ऊपचार किट रखना अनिवार्य होगा लौट में कार्य करते समय यदि किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना घटती है तो समस्त जिम्मेदारी लौट व्यवस्थाक की होगी। लौट में कार्यरत श्रमिकों का बीमा करवाना आवश्यक होगा।

45. कार्यालय द्वारा पूर्व भुगतान की गई जी0एस0टी0 से सम्बन्धित धनराशि के जी0एस0टी0 कार्यालय/पोर्टल में जमा करने का प्रमाण पत्र/रसीद प्राप्त होने के पश्चात ही व्यवस्थापक को अगले कार्य बिलों का भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

46. सफल निविदा दाता द्वारा प्रत्येक माह जारी टैक्स इनवाईस की जी0एस0टी0 रिटर्न निर्धारित समय से फाईल की जायेगी यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान की गई GST, GST पोर्टल पर GSTR-2A में प्रदर्शित नही हुई, और जिस कारण भुगतान की गई GST का ITC CLAIM नही मिला तो उसकी वसूली निविदादाता के भुगतान से कर ली जायेगी।

47. लौट में कार्य सम्पादन के पश्चात वृक्षों के अपशिष्ठ (छिल्का, फर्रे, वृक्ष शाखायें) आदि को लौट सीमा से बाहर करना होगा।

48. यदि लौट में पावर चैन शॉ का प्रयोग किया जाता है ओर वन विभाग द्वारा पावर चैन शॉ में किसी प्रकार की अनुमति या रजिस्ट्रेशन आदि की प्रकिया अपनाई जाती है तो सफल निविदादाता को वह प्रकिया अमल में लानी होगी।

(सते सिंह)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
चकराता।

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, चकराता।

****

पत्रांक– 1086 /निविदा विज्ञप्ति दिनांक–16/01/2025

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि0क्षे), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग ,कालसी।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, चकराता।
6. सूचना पट।

(सते सिंह)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
चकराता।

CamScanner